भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1992

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दूध उत्पादों में मिलावट

†1992. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों, सब्जियों, मिठाइयों और अन्य वस्तुओं में मिलावट से देश की जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों में राज्य-वार और वर्ष-वार, प्राप्त मिलावट का प्रतिशत क्या रहा है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ड़): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने देश के लोगों के स्वास्थ्य पर मिलावटी भोजन के सेवन के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, मिलावटी भोजन के सेवन से दस्त, मतली, एलर्जी आदि जैसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

वर्ष 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में घटिया भोजन, भ्रामक ब्रांड वाले भोजन और असुरक्षित भोजन के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अननुरूप पाए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में भी बुनियादी परीक्षण सुविधा केन्द्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए, एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफ़एसडबल्यू) नामक मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदान की हैं। एफएसएसएआई खाद्य उत्पादों की समय-समय पर अखिल भारतीय निगरानी भी करता है, खासकर मुख्य खाद्य पदार्थों और उन वस्तुओं पर जिनमें मिलावट की संभावना होती है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाई गई मिलावट के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** से **अनुलग्नक -IV** में संलग्न है।

******

अनुलग्नक I

वर्ष 2024-25 (सितंबर तक) के दौरान विश्लेषण किए गए और अननुरूप पाए गए प्रवर्तन नमूनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों का प्रतिशत (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44	0	0.0
2	आंध्र प्रदेश	2997	298	9.9
3	अरुणाचल प्रदेश	34	2	5.9
4	असम	742	121	16.3
5	बिहार	1543	43	2.8
6	चंडीगढ़	114	24	21.1
7	छत्तीसगढ़	683	115	16.8
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	10	0	0.0
9	दिल्ली	1192	42	3.5
10	गोवा	294	24	8.2
11	गुजरात	4316	360	8.3
12	हरियाणा	694	176	25.4
13	हिमाचल प्रदेश	724	155	21.4
14	जम्मू और कश्मीर	1338	78	5.8
15	झारखंड	151	54	35.8
16	कर्नाटक	3955	316	8.0
17	केरल	4425	564	12.7
18	लद्दाख	76	5	6.6
19	लक्षद्वीप	0	0	0.0
20	मध्य प्रदेश	7091	924	13.0
21	महाराष्ट्र	1878	352	18.7
22	मणिपुर	3	1	33.3
23	मेघालय	139	1	0.7
24	मिजोरम	8	0	0.0
25	नागालैंड	135	2	1.5

26	उड़ीसा	1144	91	8.0
27	पुडुचेरी	63	0	0.0
28	पंजाब	1628	358	22.0
29	राजस्थान	6576	1865	28.4
30	सिक्किम	90	0	0.0
31	तमिलनाडु	7839	1095	14.0
32	तेलंगाना	1660	167	10.1
33	त्रिपुरा	66	3	4.5
34	उत्तर प्रदेश	13305	7030	52.8
35	उत्तराखंड	687	94	13.7
36	पश्चिम बंगाल	6464	423	6.5

अनुलग्नक -II

वर्ष 2023-24 के दौरान विश्लेषण किए गए और अननुरूप पाए गए प्रवर्तन नमूनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों का प्रतिशत (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6439	472	7.33
3	अरुणाचल प्रदेश	501	11	2.20
4	असम	1139	125	10.97
5	बिहार	2806	126	4.49
6	चंडीगढ़	311	49	15.76
7	छत्तीसगढ़	1373	167	12.16
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	185	0	0.00
9	दिल्ली	3412	150	4.40
10	गोवा	599	16	2.67
11	गुजरात	15841	910	5.74
12	हरियाणा	3485	856	24.56
13	हिमाचल प्रदेश	1618	401	24.78
14	जम्मू और कश्मीर	9057	750	8.28
15	झारखंड	384	292	76.04
16	कर्नाटक	5492	286	5.21
17	केरल	10792	1304	12.08
18	लद्दाख	638	11	1.72
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	13998	2022	14.44
21	महाराष्ट्र	5087	1174	23.08
22	मणिपुर	168	3	1.79
23	मेघालय	123	7	5.69
24	मिजोरम	0	0	0.00

25	नागालैंड	138	3	2.17
26	उड़ीसा	2003	252	12.58
27	पुडुचेरी	31	0	0.00
28	पंजाब	6041	929	15.38
29	राजस्थान	18536	3493	18.84
30	सिक्किम	231	0	0.00
31	तमिलनाडु	18146	2237	12.33
32	तेलंगाना	6156	973	15.81
33	त्रिपुरा	87	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	27750	16183	58.32
35	उत्तराखंड	1998	192	9.61
36	पश्चिम बंगाल	5948	414	6.96

अनुलग्नक - III

वर्ष 2022-23 के दौरान विश्लेषण किए गए और अननुरूप पाए गए प्रवर्तन नमूनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों का प्रतिशत (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200	46	3.83
2	आंध्र प्रदेश	3607	314	8.71
3	अरुणाचल प्रदेश	258	11	4.26
4	असम	602	99	16.45
5	बिहार	2935	92	3.13
6	चंडीगढ़	473	64	13.53
7	छत्तीसगढ़	1468	96	6.54
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	164	10	6.10
9	दिल्ली	3133	255	8.14
10	गोवा	699	103	14.74
11	गुजरात	14562	978	6.72
12	हरियाणा	4445	1425	32.06
13	हिमाचल प्रदेश	2720	729	26.80
14	जम्मू और कश्मीर	13502	1195	8.85
15	झारखंड	943	370	39.24
16	कर्नाटक	3416	322	9.43
17	केरल	8533	1362	15.96
18	लद्दाख	220	6	2.73
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	12507	2092	16.73
21	महाराष्ट्र	11077	1340	12.10
22	मणिपुर	169	4	2.37
23	मेघालय	409	41	10.02
24	मिजोरम	140	0	0.00
25	नागालैंड	109	6	5.50

26	उड़ीसा	1368	367	26.83
27	पुडुचेरी	0	0	0.00
28	पंजाब	8179	1724	21.08
29	राजस्थान	13184	3965	30.07
30	सिक्किम	279	0	0.00
31	तमिलनाडु	24188	7924	32.76
32	तेलंगाना	4809	894	18.59
33	त्रिपुरा	31	8	25.81
34	उत्तर प्रदेश	30140	18108	60.08
35	उत्तराखंड	1839	342	18.60
36	पश्चिम बंगाल	6203	334	5.38

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2021-22 के दौरान विश्लेषण किए गए और अननुरूप पाए गए प्रवर्तन नमूनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान अननुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	अननुरूप पाए गए नमूनों का प्रतिशत (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	850	4	0.47
2	आंध्र प्रदेश	5290	533	10.08
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2	1.85
4	असम	520	66	12.69
5	बिहार	555	17	3.06
6	चंडीगढ़	388	28	7.22
7	छत्तीसगढ़	1436	180	12.53
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	234	0	0
9	दिल्ली	1956	218	11.15
10	गोवा	200	14	7
11	गुजरात	13663	824	6.03
12	हरियाणा	4235	1182	27.91
13	हिमाचल प्रदेश	1745	308	17.65
14	जम्मू और कश्मीर	8109	1735	21.40
15	झारखंड	175	85	48.57
16	कर्नाटक	5844	150	2.57
17	केरल	7855	925	11.78
18	लद्दाख	47	19	40.43
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	16059	2900	18.06
21	महाराष्ट्र	9580	1454	15.18
22	मणिपुर	236	3	1.27
23	मेघालय	70	5	7.14
24	मिजोरम	0	0	0
25	नागालैंड	127	14	11.02

26	उड़ीसा	1168	260	22.26
27	पुडुचेरी	5	2	0
28	पंजाब	6768	1059	15.65
29	राजस्थान	10386	2891	27.84
30	सिक्किम	66	5	7.58
31	तमिलनाडु	16363	3778	23.09
32	तेलंगाना	3077	353	11.47
33	त्रिपुरा	31	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21987	13153	59.82
35	उत्तराखंड	2511	560	22.30
36	पश्चिम बंगाल	2701	207	7.66

*****